

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

झाप सं०-९/सै० ६- मेला स्वी०-०१/२०१४-...../रा०, पटना, दिनांक-
सका में,

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

विषय: पितृपक्ष मेला, गया २०१४ के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु
रूपया-५४०००००/- (चौवन लाख) मात्र राशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आदेश:- स्वीकृत।

पितृपक्ष मेला, गया २०१४ के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु उपबंधित राशि में से निम्नांकित रूप से स्वीकृति दी जाती है

क्र०	मेला/ जिला का नाम	स्वीकृत राशि	समाहर्ता के पत्रांक/दिनांक
१	२	३	४
१	पितृपक्ष मेला, गया २०१४	५४००००० (चौवन लाख)	पत्रांक-११७०/रा० दिनांक-१८.०६.२०१४

२. राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-२०२९-भू-राजस्व-१०४-सरकारी संपदाओं का प्रबंध-०००२-हाट, बाजार कचहरी इत्यादि का सुरक्षण-२७०१ लघु कार्य माँग सं०- ४० विपत्र कोड- एन०-२०२९००१०४०००२ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-२०१४-१५ में की जायेगी।

३. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के समाहर्ता होंगे।

४. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं०-२५६१ (वी०)(२) दिनांक-१७.०४.९८ के आलोक में की जायेगी।

५. इस राशि की निकासी आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात की जायेगी।

६. समाहर्ता को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का व्यय संबंधित अपर समाहर्ता/संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता/संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा कराया जायगा।

७. इस स्वीकृत राशि का व्यय संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र तीन माह के अंदर निश्चित रूप से सरकार को उपलब्ध करायेगे अन्यथा किसी भी स्थिति में अगले वर्ष में इस मद में स्वीकृत राशि विमुक्त करने पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। डी०सी० विपत्र के मामले में इसका समायोजन नियत समय सीमा के अंदर करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

क०प०३०

ज्ञापक:-..... 431 (9)/रा0, पटना-15, दिनांक:-28-8-14.....

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल गया /समाहर्ता, गया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा-5 (बजट शाखा)/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Am/8
(व्यास जी.)
प्रधान सचिव।